2023/16
2023/26

1. प्र.सं. 1/2023 मांगीलाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य
2. प्रकरण संख्या 2/2023 कन्हैयालाल बनाम रामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में कन्हैयालाल व अन्य ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सटमा कृषि भूमि ग्राम आगरिया, तहसील आमेट में स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 245 पुराना 308 के आराजी नंबर 225 से 227, 333, 334, 365, 370, 375, 376, 73 कुल किता 10 रकबा 2.1950 हैक्टर। खाता संख्या नया 424 पुराना 409 के आराजी नंबर 320, 339, 3616/339, 371 से 373, 433 कुल किता 7 रकबा 1.2900 हैक्टर। खाता संख्या नया 311 पुराना 310 के आराजी नंबर 331, 332 कुल किता 2 रकबा 0.2800 हैक्टर। खाता संख्या नया 358 पुराना 348 के आराजी नंबर 2543 से 2547, 2555, 2556, 3442/335, 3449/334, 3451/370, 377 कुल किता 11 रकबा 4.4950 हैक्टर। खाता संख्या नया 34 पुराना 41 के आराजी नंबर 1290, 1854, 217 से 224, 330, 340, 341, 440 कुल किता 14 रकबा 6.2740 हैक्टर। खाता संख्या नया 363 पुराना 353 के आराजी नंबर 321 कुल किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टर। खाता संख्या नया 364 के आराजी नंबर 355 कुल किता 1 रकबा 0.0700 हैक्टर हैं। प्रार्थीगण की आराजी 321 में आने जाने हेतु रास्ता मेन रोड़ से पुरानी आराजी नंबर 182 वर्तमान आराजी नंबर 339 में से होते हुए आराजी नंबर 355 में किस्म रास्ता जो प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, से होते हुए आराजी नंबर 363 बिलानाम में से होते हुए आराजी नंबर 3449/334, 334, 332, 331, 320 में से होते हुए आराजी नंबर 321 शामलात कुंए में आ जा रहे हैं, जहां से आराजी नंबर 332 में जाते हैं। मौके पर आराजी नंबर 339 के खातेदार व आराजी नंबर 3449/334, 334, 332, 331, 320 के खातेदारों द्वारा तारबन्दी कर फाटक लगाकर मौके पर रास्ता बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते [illegible] अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कई वर्षो से निरन्तर करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा मौके पर रास्ता बन्द करने से प्रार्थी कन्हैयालाल द्वारा पटवारी हल्का को मौके पर ले जाकर पर्चा मौका बनवाया गया, जिसमें आराजी नंबर 339 के पास लोहे की फाटक लगाकर रास्ता बन्द कर रखा है एवं उसके आगे कांटे की बाड़ एवं आराजी नंबर 331, 332, 320 के खातेदारों द्वारा मौके पर फाटक लगा रखी है, जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने रास्ता खोलने से मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता डी.एल.सी. की राशि जमा करवाई जाकर राजस्व रेकार्ड में 20 फिट चौड़ा रास्ता दर्ज कराया जावे तथा विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि मौके पर उपलब्ध रास्ते में नाजायज रूप से पत्थर डालकर प्रार्थीगण के रास्ते में दखलन्दाजी कर अवरोध पैदा नहीं करें तथा प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आमेट की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 23.12.2022 को निर्णय पारित करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1, 31, 32, 33 व 36 मांगीलाल व अन्य द्वारा अपील संख्या 1/2023, जिसे हम आगे प्रथम अपील के नाम से संबंधित करेंगे दिनांक 10.01.2023 को प्रस्तुत की तथा अपीलान्ट/प्रार्थी संख्या 1 कन्हैयालाल द्वारा अपील संख्या 2/2023 जिसे हम द्वितीय अपील के नाम से संबोधित करेंगे दिनांक 17.01.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा एवं श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त दोनों अपीलों में विवादित आराजियात एवं ... समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के ... में पारित निर्णय के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

प्रथम अपील के विद्वान अभिभाषक श्री दुर्गासिंह शक्तावत ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी नंबर 321 व 322 पर आने–जाने का रास्ता अपीलान्टगण के आराजी नंबरों से मांगा, जिसका जवाब अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा दिया जाकर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात पर आने–जाने का मौके पर वर्षो पुराना रास्ता मौजूद है। उक्त आराजीयात में आने–जाने हेतु बिलानाम आराजी नंबर 426 से होकर आराजी नंबर 347, 348 जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी नंबर 355 से मिलता है, वर्तमान में रास्ता विद्यमान है। आराजी नंबर 347 किस्म रास्ता सुनारों की खातेदारी का है, जिन्हें सुनारों से अतिक्रमण कर रास्ते को सकड़ा कर दिया है। आराजी नंबर 339 में कभी कोई रास्ता नहीं था तथा आराजी नंबर 355 का रास्ता मौके पर खुला हुआ है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में आराजी नंबर 321 व 322 में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख किया है। तहसीलदार एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में विरोधाभाष है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2022 अपास्त किया जावे।

द्वितीय अपील के विद्वान अभिभाषक श्री अजयसिंह हाड़ा ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 18 ने धारा 251–क का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रास्ते की मांग की, जिसमें स्पष्ट अंकित किया कि आराजी नंबर 182 रकबा 1 बीघा भूमि से कदीमी रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं किन्तु सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा मनमाफिक तरीके से उक्त भूमि की भूमि को बंजड़ दर्शा दिया, जबकि मौके पर उक्त भूमि आज भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

1. प्र.सं. 1/2023 मांगीलाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य
2. प्रकरण संख्या 2/2023 कन्हैयालाल बनाम रामलाल व अन्य

के रूप में उपयोग में आ रही है, जिसे विपक्षी संख्या 19 से 62 द्वारा बाधित कर बन्द कर दिया गया है, जिसे खुलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा ही हाल आराजी नंबर 339 (साबिक आराजी नंबर 182) को भी पुनः रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं तहसीलदार आमेट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को देखे बिना निर्णय पारित कर दिया। आराजी नंबर 339 पर फाटक लगा हुआ है, फाटक खोलने मात्र से रास्ता पूर्ण हो जाता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फाटक हटाये जाने बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं कर अपूर्ण एवं विरोधाभाषी निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2022 अपास्त करते हुए तहसीलदार आमेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को नियमित कर आराजी नंबर 355 एवं 339 की सीमा पर लगी फाटक को हटाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हल्का पटवारी आगरिया ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2021 में अंकित किया है कि "मौके पर खसरा नंबर 3618/339 एवं 339 मी. में से होकर एक कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ मकान एवं बाड़े बने हुए हैं। ये रास्ता आगे खसरा नंबर 337 के कोने पर जाकर आगे रेकार्ड में दर्ज रास्ते पर जाकर मिलता है। जहां पर लोहे की फाटक लगी होकर बंद है। यह फाटक अभी कुछ दिन पूर्व ही लगाना मौतबिरान ने बताया। खसरा नंबर 339 एवं 3618/339 में जो रास्ता बना हुआ है वो राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण का कहना है कि हम सदैव से इसी रास्ते से अपने खेतों में आते–जाते रहे हैं, परन्तु अब इस आराजी के खातेदार हमें नहीं आने–जाने दे रहे हैं। उपस्थित खातेदारों ने बताया कि यह रास्ता हमने हमारी सुविधा के लिए हमारे निजी उपयोग हेतु बना रखा है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग करते आ [illegible] वह हमें पूंछकर सहमति से आते–जाते थे। मौके पर कच्चा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य... अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हुआ है। प्रार्थीगण का कहना है कि आगे हमारे खेत व मवेशी का नोहरा है रास्ता बन्द होने से हम वहां नहीं जा पा रहे हैं।''

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक अन्य मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2022 संलग्न है, जिसमें अंकित किया है कि ''मौके पर प्रतिवादीगण ने बताया कि इस आराजी में जाने हेतु एक रास्ता खसरा नंबर 426 बिलानाम से होकर आराजी नंबर 347, 348 आराजी नंबर 355 में मिलता है। उक्त आराजी में 6–7 फिट चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रेकार्ड को देखने से आराजी नंबर 348 आ.चा. है एवं आराजी नंबर 347 किस्म रास्ता होकर सुनारों के खातेदारी की है। खसरा नंबर 339 में मकान व बाड़ा बने हुए हैं, जिसके बीच में रास्ता बना हुआ है, जो खसरा नंबर 355 में मिलता है, परन्तु उक्त दोनों खसरों की सीमा मेकं एक लोहे का फाटक लगा होने से रास्ता बन्द है।''

भू–अभिलेख निरीक्षक आमेट द्वारा दिनांक 18.08.2022 को तहसीलदार आमेट के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अंकित किया है कि ''आराजी नंबर 321, 322 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर उपस्थित विपक्षीगण द्वारा बताया गया कि आराजी नंबर 347, 348 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, परन्तु खसरा नंबर 348 रेकार्ड में किस्त आ.चा. दर्ज है एवं 347 किस्म रास्ता होकर सुनारों की खातेदारी में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ते में खसरा नंबर 339 में खसरा नंबर 355 की सीमा पर एक लोहे की फाटक लगी हुई है। खसरा नंबर 331, 332 में प्रस्तावित भूमि पर 82 मीटर लम्बी कच्ची दीवार बनी हुई है तथा प्रस्तावित रास्ता आमेट–आगरिया सड़क से मिलता है।''

भू–अभिलेख निरीक्षक की इस रिपोर्ट अनुसार मौके पर आराजी नंबर 347 व 348 में मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। पत्रावली पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भी आराजी नंबर 347 व [illegible] रास्ता दर्शित हो रहा है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा [illegible] की मांग की गयी है, जिसमें फाटक लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का आगरिया की मौका रिपोर्ट के आधार पर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
उदयपुर (राज.)

नंबर 321 व 322 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नंबर 363 में से 0.0210 हैक्टर, आराजी नंबर 3449/334 में से 0.0014 हैक्टर, आराजी नंबर 330 में से 0.0062 हैक्टर, आराजी नंबर 334 में से 0.0036 हैक्टर, आराजी नंबर 333 में से 0.0038 हैक्टर, आराजी नंबर 332 में से 0.0132 हैक्टर, आराजी नंबर 320 में से 0.0140 हैक्टर, आराजी नंबर 331 में से 0.0032 हैक्टर में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शे से भिन्न होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2022 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 9/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested